कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 396 /21-3(3) अल्मोड़ा दिनांक 23-07-2024

सेवा में,

मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषयः— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 379/2024 भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्रा0 लि0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजित मूल आवेदन सं0 379/2024 भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्लस एनर्जी प्रा0 लि0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–01.02.2024 के क्रम में उत्तरदाता संख्या–03 व 04 की ओर से निम्न प्रकार सादर अवगत कराना है–

1– कि माननीय विधायक श्री महेश जीना 49– सल्ट विधानसभा के कार्यालय पत्र सं0 162 दिनांक 06.08.2022 के द्वारा ग्राम कुणीधार में सोलर प्लांट के भूमि में कटे वृक्षों की संख्या तथा भूमि के विवरण के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी भिकियासैंण की पत्र सं0 10(1)/मुख्य–एस0टी0/2022 दिनांक 17–08–2022 के द्वारा गठित जांच टीम वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा मौके पर मय भू अभिलेखों के निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि नार्दन सोलर एनर्जी प्रा0 लि0, विन्दाल सोलर प्रा0 लि0 एवं एस0 आर0 एन0 सोलर एनर्जी प्रा0 लि0 कम्पनी द्वारा ग्राम कुणीधार के खाताधारक ग्रामीणों के मध्य 30 वर्षों की लीज डील के आधार पर सोलर प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त भूमि पर वृक्षों की गणना वन विभाग द्वारा किया गया। (संयुक्त जांच रिपोर्ट संलग्नक–01)

2– कि प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 07.07.2023 की वन विभाग द्वारा जांच कर नाम भूमि में 35 वृक्षों के खुट कटे हुए पाये जाने पर नार्दन सोलर एनर्जी प्रा0 लि0 के नाम अपराध पंजीकृत कर जुर्माना वसूल किया गया। (संलग्नक –02)

3– कि सोलर प्लांट की सीमा के भीतर स्थित नाप एवं सिविल भूमि के विषय में सोलर प्लांट के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर बताया गया कि काश्तकारों द्वारा ही भूमि लीज पर देकर वृक्षों का स्वंय ही पातन किया गया है। इस सम्बन्ध में किन काश्तकारों द्वारा सोलर प्लांट के भूमि लीज पर दी गयी है और किस भूमि पर सोलर प्लांट द्वारा अतिक्रमण कर अवैध पातन किया गया है जिस हेतु दिनांक 09.07.2024 व 13.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक –03)

4– कि उक्त सोलर प्लांट द्वारा किसी भी प्रकार की आरक्षित भूमि या वन पंचायत भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः अतिक्रमण सम्बन्धित शिकायत में वन विभाग के स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त नाप खेत में प्रतिबन्धित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

वृक्षों के पातन होने पर वन विभाग से कार्यवाही की जाती है। इस क्रम में नाप भूमि में वृक्षों के अवैध पातन की स्थिति में वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–13 व धारा–16 के अनुसार राजस्व विभाग भी कार्यवाही के लिए सक्षम है।

5– कि दिनांक 13.07.2024 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग द्वारा कुल 05 खसरा नं0 के भू–स्वामित्व स्पष्ट किये गये जिसमें स्पष्ट किये गये भू–स्वामित्व के खसरा/खेत नम्बरों में कुल 10 वृक्षों का पातन होना पाया गया जिसमें 04 चीड़ वृक्षों के पातन की अनुमति प्राप्त थी एवं शेष 06 चीड़ वृक्षों के अवैध पातन के लिए सम्बन्धित के विरूद्ध वन अपराध पंजीकृत कर कार्यवाही की गई है।

6– कि सोलर प्लांट की सीमा के भीतर स्थित शेष भूमि के विषय में राजस्व विभाग द्वारा भू–स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो पायेगा। अतः इसके अतिरिक्त यह अवगत कराना समीचीन होगा कि नाप भूमि में वृक्षों के अवैध पातन की स्थिति में वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–13 व धारा–16 के अनुसार राजस्व विभाग भी कार्यवाही के लिए सक्षम है एवं नाप भूमि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख जैसे– सजरा, खसरा,खतौनी एवं नक्सा राजस्व विभाग के कार्य क्षेत्र अन्तर्गत आते हैं।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

अतिआवश्यक/मा॰न्यायालय प्रकरण।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या-4998/छब्बीस-06/2023-24 दिनांक 17-05-2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट वनाम सोलर पल्स इनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-02-2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश का अवलोकन करें, जिसके अन्तर्गत मा॰ न्यायालय द्वारा प्रकरण पर पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सुनवाई की निर्धारित तिथि दिनांक 26 जुलाई, 2024 से पूर्व मा॰ न्यायालय को अवगत करवाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मा॰ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि मा॰ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन प्रकरण पर अपनी औचित्यपूर्ण आख्या निर्धारित तिथि से पूर्व मा॰ न्यायालय को प्रेषित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न- यथोक्त/

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी अल्मोड़ा।

पत्र सं० 12448
20-5-2024

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

ANX-1

प्रेषक,

111

उपजिलाधिकारी,
भिकियासैंण।

सेवा में,

जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।

पत्रांक:- 455/मुख्य/2024, दिनांक 15.07.2024।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर पल्स इनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 4498(1)/छब्बीस-06/2022-23, दिनांक 10 जुलाई,2024 एवं उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत के कार्यालय पत्र संख्या 11/21-1 दिनांक 03.07.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर पल्स इनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में वांछित आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तहसीलदार भिकियासैंण को प्रकरण में यथानिर्देश वांछित आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार भिकियासैंण के कार्यालय पत्र संख्या 294/एम0जे0/जॉच/2024-25, दिनांक 15 जुलाई,2024 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है। तहसीलदार भिकियासैंण की द्वारा बिन्दुवार आख्या उपलब्ध करायी गयी है:-

1. मा0 विधायक श्री महेश जीना 49-सल्ट विधानसभा के कार्यालय पत्र संख्या 162, दिनांक 06 अगस्त,2022 के द्वारा ग्राम कुणीधार में सोलर प्लांट में वन भूमि में कटे हुए वृक्षों की संख्या तथा भूमि का विवरण के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या 10(1)/मुख्य-एस0टी0/2022 दिनांक 17 अगस्त,2022 के द्वारा गठित जॉच टीम वन विभागव राजस्व विभाग द्वारा मौके पर मय भू-अभिलेखों के निरीक्षण किया गया था। जिसमें पाया गया कि नार्दन सोलर एनर्जी प्रा0लि0, विन्दाल सोलर प्रा0लि0 एवं एस0आर0एन0 सोलर एनर्जी प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा ग्राम कुणीधार के खाताधारक ग्रामीणों के मध्य 30वर्षों की लीज डीड के आधार पर सोलर प्लान्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त भूमि पर वृक्षों की गणना का कार्य वन विभाग द्वारा किया गया था। जिसमें अग्रिम कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी थी।
2. दिनांक 07.07.2023 को वन विभाग को प्राप्त शिकायत के आधार पर वन विभाग द्वारा जॉच कर 35वृक्ष पातन होने पाये जाने पर वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधि0 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही की गयी थी। जिसकी प्रति संलग्न रिपोर्ट है।
3. अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या 269(1)/विविध-संयु0निरी0/2024 दिनांक 04.07.2024 के अनुपालन में दिनांक 09.07.2024 व दिनांक 13.07.2024 को वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें वन विभाग द्वारा नाप भूमि व उनके खातेदारों की जानकारी मांगी गयी थी। जो वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी, जिसमें वृक्षों से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न:- यथोक्त।

उपजिलाधिकारी भिकियासैंण।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी महोदय अल्मोडा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सीमा विश्वकर्मा)
उपजिलाधिकारी भिकियासैंण।

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

कार्यालय तहसीलदार, भिकियासैंण।

संख्या 294/एम0जे0/जॉच/2024-25. दिनांक 15 जुलाई, 2024।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
भिकियासैंण(अल्मोड़ा)।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्लस एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पृष्ठांकित आदेश सं0 369(1)/विविध-संयु0निरी0/2024, दिनांक 04.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण में राजस्व उप निरीक्षक कूणीधार से जॉच करायी गयी, राजस्व उप निरीक्षक कूणीधार की जॉच आख्या निम्न प्रकार है-

1-यह कि मा0विधायक श्री महेश जीना 49-विधानसभा सल्ट के कार्यालय पत्र सं0 162, दिनांक 06 अगस्त,2022 के द्वारा ग्राम कूणीधार में सोलर प्लांट में वन भूमि में कटे हुए वृक्षों की संख्या तथा भूमि का विवरण के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी महोदय भिकियासैंण के आदेश सं0 10(1)/मुख्य-एस0टी0/2022, दिनांक 17 अगस्त, 2022 के द्वारा गठित जॉच टीम, वन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मौके पर मय भू-अभिलेखों के निरीक्षण किया गया था। जिसमें पाया गया कि नार्दनसोलर एनर्जी प्रा0लि0, विन्दाल सोलर प्रा0लि0 तथा एस0आर0एन0 सोलर एनर्जी प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा ग्राम कूणीधार के खाताधारक ग्रामीणों के मध्य 30 वर्षों की लीज डीड के आधार पर सोलर प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त भूमि पर वृक्षों की गणना का कार्य वन विभाग द्वारा किया गया था। जिसमें अग्रिम कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी थी।

2-यह कि दिनांक 07.07.2023 को वन विभाग को प्राप्त शिकायत के आधार पर वन विभाग द्वारा जॉच कर 35 वृक्ष पातन होने पाये जाने पर वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधि0 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही की गयी थी। जिसकी प्रति संलग्न रिपोर्ट है।

3-यह कि उपजिलाधिकारी महोदय भिकियासैंण के आदेश सं0 369(1)/विविध-संयु0निरी0/2024, दिनांक 04.07.2024 के अनुपालन में दिनांक 09.07.2024 व दिनांक 13.07.2024 को वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें वन विभाग द्वारा नाप भूमि व उनके खातेदारों की जानकारी मॉगी गयी थी जो वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी जिसमे वृक्षों से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक कूणीधार की जॉच आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

तहसीलदार,
भिकियासैंण(अल्मोड़ा)।

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पश्चिमी वन प्रभाग अल्मोड़ा

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,

भिकियासैंण(अल्मोडा)।

महोदय,

संलग्नक पत्रांक सं0 5589/29-1(3) अल्मोडा दिनांक 21.05.2024 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोडा वन प्रभाग पर पृष्ठांकित आदेश सं0 294/मुख्य/2024,दिनांक 06.06.2024 जो मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर पल्स एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना वन प्रभाग अल्मोडा कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है-

1-यह कि मा0विधायक श्री महेश जीना 49-विधानसभा सल्ट के कार्यालय पत्र सं0 162, दिनांक 06 अगस्त,2022 के द्वारा ग्राम कूणीधार में सोलर प्लांट में वन भूमि में कटे हुए वृक्षों की संख्या तथा भूमि का विवरण के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी महोदय भिकियासैंण के आदेश सं0 10(1)/मुख्य-एस0टी0/2022, दिनांक 17 अगस्त, 2022 के द्वारा गठित जॉच टीम, वन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मौके पर नय भू-अभिलेखों के निरीक्षण किया गया था। जिसमें पाया गया कि नार्दनसोलर एनर्जी प्रा0लि0, विन्दाल सोलर प्रा0लि0 तथा एस0आर0एन0 सोलर एनर्जी प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा ग्राम कूणीधार के खाताधारक ग्रामीणों के मध्य 30 वर्षों की लीज डीड के आधार पर सोलर प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त भूमि पर वृक्षों की गणना का कार्य वन विभाग द्वारा किया गया था। जिसमें अग्रिम कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी थी।

2-यह कि दिनांक 07.07.2023 को वन विभाग को प्राप्त शिकायत के आधार पर वन विभाग द्वारा जॉच कर 35 वृक्ष पातन होने पाये जाने पर वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधि0 1976 की धारा 4/10 के अर्न्तगत चालानी कार्यवाही की गयी थी। जिसकी प्रति संलग्न रिपोर्ट है।

3-यह कि उपजिलाधिकारी महोदय भिकियासैंण के आदेश सं0 369(1)/विविध-संयु0निरी0/2024, दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन में दिनांक 09.07.2024 व दिनांक 13.07.2024 को वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें वन विभाग द्वारा नाप भूमि व उनके खातेदारों की जानकारी मॉगी गयी थी जो वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी जिसमें वृक्षों से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है।

अतः जॉच रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नक-यथोक्त।

ह0 15/07/2024

राजस्व उप निरीक्षक,

कूणीधार।

महोदय

रा0 उ0 नि0 कूणीधार की जॉच रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत है,

ह0 15/07/2024

तहसीलदार

छायाप्रति प्रमाणित

ह0

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 27-8-2022 को माननीय उपजिलाधिकारी महोदय भिकियासैंण के आदेश सं० – 10 (2) / मुन्सा – स्था० टी० / 2022 दिनांक 26 अगस्त 2022 जो कि ग्राम कुणीधार में सोलर प्लान्ट के सम्बन्ध में सोलर प्लान्ट की नाप / बेनाप भूमि तथा उक्त प्लान्ट के निर्माण हेतु नाप / बेनाप / वन भूमि में काटे गये वृक्षों की संख्या आदि स्थलीय की स्थिति विषयक है, आदेश के अनुपालन में आज दिनांक को जाँच टीम के सदस्यों हरीसिंह ना० नि० भिकियासैंण, जितेन्द्र प्र० धपोला रा० नि० मानिला, कुबेर मेहरा रा०उ०नि० कुणीधार, भुवन सिंह रा०उ०नि० जनणा, पंकज बिष्ट रा०उ०नि० अल्कोड़ा, चन्द्रशेखर वन दरोगा मानिला, किशोर कुमार आर्य वन आरक्षी तथा प्रताप सिंह नेगी वन बीट अधिकारी मानिला द्वारा मौके पर नाप जु-अधिनियम के साथ जाँच की गयी जाँच के समय सोलर प्लान्ट निर्माण करने वाली कम्पनियों के अधिकृत प्रतिनिधि श्री धीरज मिश्रा तथा ग्रामविधायक श्री नरेश जोशी उपस्थित है जाँच रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नवत् है।

1. यह कि ग्राम कुणीधार में सोलर प्लान्ट निर्माण का कार्य तीन निजी कम्पनियों नादर्न सोलर एनर्जी प्रा० लि०, विन्दल लेजर होम्स प्रा० लि० तथा जे० आर० एन० सोलर एनर्जी प्रा० लि० द्वारा करवाया जा रहा है। जाँच के समय उक्त तीनों कम्पनियों के अधिकृत प्रतिनिधि श्री धीरज मिश्रा उपस्थित है।

2. यह कि उक्त सोलर प्लान्ट के निर्माण हेतु उक्त कम्पनियों के द्वारा ग्राम कुणीधार के 35 कृषकों की कुल 5.440 है० भूमि 30 वर्षों के लिये अनुबन्ध पत्र के द्वारा (लीज डीड) ली गयी है। इसके अतिरिक्त ग्राम कुणीधार के विभिन्न कृषकों की श्रेणी 7क के अन्तर्गत की लगभग 0.800 है० भूमि कम्पनियों द्वारा सोलर प्लान्ट के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जा रही है इस सम्बन्ध में कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि यह श्रेणी 7क की भूमि कृषकों की सहमति से ही उनके द्वारा उपयोग में लायी जा रही है यद्यपि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई कागज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] प्रभाग अल्मोड़ा

4. यह कि जाँच में सोलर प्लान्ट लगाने वाले कम्पनी द्वारा खसरा नम्बर 1105 जो कि श्याम उपाध्याय पि० स्व० चि० द० जोशी के नाम खतौनी खा० 56 में दर्ज दरबार, नदी 9(न)5 बंजर भूमि के बाद वन सीमांकित है मे लगभग 0.500 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर सोलर प्लान्ट निर्माण कार्य पाया गया है। यद्यपि भूमि के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण स्थल सीमांकन नहीं हो सका है। अतिक्रमण अस्थाई रूप का पाया गया है।

5. यह कि मौके पर सोलर प्लान्ट निर्माणाधीन भूमि पर कटे गये वृक्षों की गणना का कार्य वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जारी है इस सम्बन्ध में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया कि क्षति गणना का कार्य विस्तृत रूप से किया जा रहा है इसलिये गणना कार्य पूर्ण नहीं हुआ है पूर्ण होने पर रिपोर्ट आख्या श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जायेगी।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सादर सेवार्थ प्रेषित है।

राजस्व निरीक्षक

रा०नि०
कनिष्ठा,

RSA

रा०उ०नि०
विनोद

(वन आरक्षी)

किशोर कुमार शर्मा
(वन आरक्षी)

(पूरनसिंह)

द्वारा प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,
श्रीमान वनक्षेत्राधिकारी महोदय,
जौरासी वन क्षेत्र,

विषय - नाप भूमि / सिविल भूमि में सोलर प्लांट कुलीधार में पाये गए ठूँठों के संबंध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयगत के क्रम में सादर अवगत कराना है कि वन विभाग सोलर प्लांट जांच हेतु राजस्व विभाग द्वारा गठित टीम में वन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री किशोर कुमार आर्या वन आरक्षी एवं श्री पूरन सिंह नेगी प्रभारी वन बीट अधिकारी के साथ में स्वयं मेरे द्वारा दिनांक 27/08/2022 को सोलर पावर प्लांट में पाये गए ठूंठों की गणना की गई। उक्त गणनानुसार चीड़ एवं बांज वृक्षों के ठूंठों की गणना की गई। चीड़ के 155 एवं बांज के 193 कुल 348 वृक्षों के ठूंठ पाये गए।

महोदय 27/08/2022 को वन विभाग की टीम को भूमि का प्रकार स्पष्ट न होने के कारण आपके आदेशानुसार पुनः दिनांक 05/09/2022 को राजस्व उप निरीक्षक कुलीधार श्री कुबेर सिंह मेहरा के संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा पुनः कुलीधार नाप सिविल एवं वन भूमि [illegible] किया गया, राजस्व उप निरीक्षक के बताए अनुसार सिविल एवं वन भूमि में ठूंठों की गणना की गई। जिसकी सूची निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	भूमि का प्रकार	किस्म प्रजाति	व्यास वार गोलाई 0-10	10-20	21-30	30-40	40-50	50-60	60-70	योग ठूंठ
1-	वन पंचायत / आरक्षित भूमि		—	—	—	—	—	—	—	27
		चीड़			65	11	03	08	—	85
2-	सिविल भूमि/[illegible]	बांज	01	02	67					
	सिविल भूमि	चीड़	01	02	07	11	03	08	—	32
3-	नाप भूमि कुलीधार	चीड़	—	11	18	27	29	32	11	128
		बांज	21	70	69	27	01	—	—	138
	नाप भूमि	योग	21	81	87	54	30	32	11	316
	महायोग	→	22	83	94	65	33	40	11	348

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

कुबेर सिंह मेहरा (राजस्व उप निरीक्षक) कुलीधार	किशोर कुमार (वन आरक्षी)	पूरन सिंह नेगी (बीट प्रभारी) मानिला II	चन्द्र शेखर (व०प०द०) मानिला आनुभाग

छायाप्रति प्रमाणित
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

ANX-2

(11)

बुक नम्बर 18 एच (2) पंजिका 28 पेज नं०

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमाऊं वृत्त अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत प्रसूचना (रिपोर्ट) नं० 01 दिनांक 07.07.2023

अधिक्षेत्र रेंज जौरासी वन क्षेत्र

नाम, पिता का नाम व निवास स्थान नार्दर्न सोलर एनर्जी एवं S.P.N Sun Solar energy P.V.T L.T.D कम्पनी

2 - साक्षी का नाम - (1) स्वयं
(2) श्री गोपाल दत्त जोशी, प्र. व. अ. जौरासी वन क्षेत्र
(3) श्री चन्द्रशेखर वन दरोगा, मानिला अनुभाग
(4) श्री संजय सिंह, वन बीट अधिकारी, मानिला I बीट

3 - कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक दि. 07.07.2023 को प्राप्त शिकायत के (ग्राम में नाप भूमि कुणीधार का) निस्तारण हेतु मौका मुआयना करने के दौरान ग्राम प्रधान कुणीधार श्री मौके पर आए उनके द्वारा बताया गया कि कुणीधार नाप भूमि में नार्दर्न सोलर एनर्जी एवं S.P.N Sun Solar energy P.V.T. LTD कम्पनी द्वारा सोलर प्लांट निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमे उपरोक्त कम्पनी द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप कुणीधार नाप भूमि में चीड़ के वृक्ष काटे जा रहे हैं जाँच उपरान्त मौके पर वास्तव में 20-30/09, 30-40/13, 40-50/09, 50-60/04 व्यास श्रेणी के कुल 35 वृक्षों के ठूँठ पाए गए।

4 - मूल्य (रुपये) ____________

वन क्षेत्राधिकारी ____________

5 - चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत

6 - प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
(किशोर चन्द्र)
वन बीट अधिकारी
मानिला II बीट

दृष्टिगत. प्रेषित (हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय
वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
जौरासी रेंज

पत्रांक 455/12-1 दिनांक- 10/09/2022

सेवा में,
उप जिलाधिकारी
भिकियासैन

विषय-: ग्राम कुणीधार में सोलर प्लान्ट के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-: आपकी पत्र संख्या 10/ मा0 विधायक सन्दर्भ एस0टी0-सपु0जॉच/2022 दिनांक 00.09.2022 एवं यथा संशोधित पत्र सं0 10(2) मुख्य एस0टी0/2022 दि0 26 अगस्त 2022

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सादर अवगत कराना है कि आपके द्वारा ग्राम कुणीधार में सोलर प्लान्ट के संयुक्त स्थलीय निरीक्षण हेतु दिनाकं 27.08.2022 की तिथि निर्धारित कि गई थी। उक्त तिथि को राजस्व विभाग के साथ वन विभाग की ओर से श्री चन्द्र शेखर वन दरोगा, श्री किशोर कुमार आर्या वन आरक्षी, श्री पूरन सिंह नेगी बीट प्रभारी मानिला द्वारा प्रतिभाग किया गया। मौके पर बॉज के 193 एंव चीड़ के 155 खूँट कुल 348 खूँट कटे पाये गये। परन्तु भूमि का प्रकार स्पष्ट नहीं होनें से ,दिनांक 04.09.2022 को वन विभाग के कर्मचारीयों द्वारा राजस्व उप निरीक्षण कुणीधार श्री कुबेर सिंह मेहरा के साथ पुनः उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राजस्व उप निरीक्षण कुणीधार द्वारा बताये अनुसार सिविल एंव नाप भूमि में स्थित वृक्षों के पाये गये खूटों की गणना की गई, जिसमें सिविल भूमि कुणीधार में चीड़ के 27 खूटं, बॉज के 5 खूटं कुल 32 खूँट एंव नाप भूमि कुणीधार में चीड़ के 128 खूंट, बॉज के 188 खूंट कुल 316 खूँट, कुणीधार सिविल एंव नाप भूमि में कुल 348 खूंट पाये गये हैं। जिसकी प्रजातिवार एंव व्यासवार गणना सूची संलग्न है।

महोदया श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के पत्रांक 2828/टी0सी0/23-3 दिनाकं 22.11.2021 से श्री जोगादेव पुत्र श्री धनीराम निवासी ग्राम कुणीधार, पटवारी क्षेत्र कुणीधार, तहसील भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा को विभिन्न व्यासवर्ग के 35 चीड़ वृक्षों का पातन/निस्तारण एंव 77 चीड़ खूटों से छिल्का गुलिया फार्राटा संग्रहण/निस्तारण की अनुमति प्राप्त हुई थी। श्री जोगादेव पुत्र श्री धनीराम द्वारा 35 चीड़ वृक्षों का नियमानुसार पातन कर चीड़ गोल प्रकाष्ट की निकासी ली गई है।

अतः सूचना महोदया की सेवा में सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विक्रम सिंह कैड़ा)
वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग-अल्मोड़ा

प्रतिलिपि-: श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को उनकी पत्र संख्या 2572/21-5 दिनाकं 03.09.2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

(विक्रम सिंह कैड़ा)
वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग-अल्मोड़ा

Forest Office Jaurasi Letter No 12-1

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित आदेश

119

मा० महेश जीना 49–विधायक विधानसभा क्षेत्र सल्ट के कार्यालय पत्र संख्या 162, दिनांक 06 अगस्त, 2022 द्वारा ग्राम कुणीधार मे सोलर प्लान्ट के सन्दर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है।

उक्त के क्रम में तहसील भिकियासैण अन्तर्गत ग्राम कुणीधार में लगाये जा रहे सोलर प्लान्ट के सम्बन्ध मे स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नानुसार टीम का गठन किया जाता है–

1 श्री विक्रम कैड़ा, वन क्षेत्राधिकारी जौरासी

2 श्री हरी किशन, राजस्व निरीक्षक भिकियासैंण

3 श्री जितेन्द्र थपलियाल, राजस्व निरीक्षक मानिला

4 श्री कुबेर मेहरा, राजस्व उपनिरीक्षक कुणीधार

5 श्री शुभम सिंह, राजस्व उपनिरीक्षक सनणा

6 श्री पकंज बिष्ट, राजस्व उपनिरीक्षक अदवांडा।

उक्त प्रकरण मे जाँच हेतु दिनांक 19 अगस्त, 2022 की तिथि निर्धारित की जाती है। उक्त टीम उक्त तिथि को स्थल निरीक्षण कर निम्न बिन्दुओ पर कार्यवाही उपरान्त समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षरोपरान्त संयुक्त जाँच आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

राजस्व विभाग–

- क्या उक्त सोलर प्लान्ट नाप / बेनाप भूमि में बनायी जा रही है(प्रयोग में लायी गयी भूमि के लीज बिलखों का मिलान कर लीज मे प्राप्त भूमि व अन्य नाप भूमि व बेनाप भूमि का विवरण)।
- यदि बेनाप भूमि में उक्त सोलर प्लान्ट बनाया जा रहा है तो क्या नियमानुसार स्वीकृति है।

वन विभाग–

- उक्त प्लान्ट के निर्माण हेतु नाप / बेनाप / वनभूमि मे काटे गये वृक्षों की संख्या एवं इस हेतु सक्षम स्तर से ली गयी स्वीकृति की स्थिति (वृक्षों की संख्या का मिलान पड़ताली खसरे से भी किया जाए)।

सलग्न– यथावत।

(शिप्रा जोशी पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी, भिकियासैंण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, भिकियासैण।

संख्या– 10(1) / मुख्य– एस0डी0 / 2022 दिनाक– 17 अगस्त, 2022।

प्रतिलिपि – निम्नांकितो को प्रकरण मे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 वन क्षेत्राधिकारी जौरासी।

2 सम्बन्धित कार्मिकगण द्वारा तहसीलदार भिकियासैण।

3 कार्यालय प्रति।

(शिप्रा जोशी पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी भिकियासैण।

द्वारा प्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 01/07/2024 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय भिकियासैंण के आदेश सं0 361(1)/वि0वि0-अनु0नि0/2024 दिनांक 01/07/2024 के अनुपालन में ग्राम कुनीखार में सोलर प्लांट निर्माण के दौरान क्षतिकरण/अवैध पातन के सम्बंध में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक मानिला जितेन्द्र दत्त चपलियाल, रा0उ0नि0 कुनीखार श्री निखिल कुमार त्यागी, वन विभाग से वन दरोगा श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन बीट अधिकारी मानिला-II श्री किशोर चन्द्र उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान राजस्व नक्शे में खेत नम्बर स्पष्ट न होने के कारण, खसरा नम्बर का मिलान नहीं हो पाया जिस कारण भू-स्वामित्व भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिस कारण वृक्षों का गणना कार्य (पातन किये गये वृक्षों का) नहीं हो पाया है।

(हस्ताक्षर) (किशोर चन्द्र) वन बीट अधिकारी मानिला II बीट

(हस्ताक्षर) व0द0 ([illegible])

N.K.Tyagi 01/07/2024 रा0उ0नि0 कुनीखार

(हस्ताक्षर) 01/07/2024 रा0 निरीक्षक

छायाप्रति प्रमाणित (हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 13/02/2024 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 06/02/2024 के अनुपालन में ग्राम कुमीढ़ा तोक [illegible] के दौरान वृक्षों के अवैध पातन के सम्बन्ध में नक्शे की स्पष्ट प्रति लेकर स्थल संयुक्त निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित खसरा नम्बरों पर वृक्ष पातन होना पाया गया -

वृक्ष पातन की संख्या	[illegible]	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	खातेदार का नाम
01	[illegible] वृक्ष	3074	27	1 क	जोगेन्द्र s/o धनीराम महेशचंद आदि s/o तारादत्त.
02	दो	3226	27	1 क	— " —
01	अनुत्त	3235	27	1 क	— " —
03	की	3234	11	1 क	कृष्णा नंद आदि s/o ज्ञानदत्त आदि
03	गयी है.	3075	50	1 क	भुवन चंद s/o शिवानंद आदि

अतः निरीक्षण रिपोर्ट सादर सेवा में पेश

(किशोर चन्द्र)
वन बीट अधिकारी
[illegible] II बीट

(पटवारी)

N.K.T. [illegible]
[illegible]

13/02/2024
[illegible]

[illegible]
प्रभारी निरीक्षक
[illegible]

स्थान कुसंगार सोजर लॉट अंतर्गत पातन किए गए चीड़ वृक्षों का विवरण –

क्र. सं.	प्रजाति का नाम	अंकन संख्या	खाता सं.	वृक्षों का व्यासवार विवरण (20-30)	(30-40)	(40-50)	(50-60)	(60-70)	(70-80)	(80 से ऊपर)
	चीड़	3074	27	–	–	–	–	01	–	–
	चीड़	3226	27	–	02	–	–	–	–	–
	चीड़	3235	27	–	–	–	01	–	–	
	चीड़	3234	11	–	03	–	–	–	–	
	चीड़	3075	50	–	01	02		–	–	
			योग	–	06	02	01	01	–	–

कुल योग – 10 वृक्ष

अतः सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Dhanda

(किशोर चन्द्र)
वन क्षेत्राधिकारी
नागनाथ II रेंज

(...)
वन दरोगा
नागनाथ ...

प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनंदा वन प्रभाग गोपेश्वर

कार्यालय उपजिलाधिकारी, भिकियासैंण।

संख्या 369(1)/लिपिक-स्था0नि0/2024, दिनांक 04-7/2024।

उपजिलाधिकारी,
भिकियासैंण।

वन क्षेत्राधिकारी,
जौरासी।

विषय- संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत के [illegible] पत्र संख्या 11/21-1 [illegible] अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय रानीखेत, दिनांक 03.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें [illegible] हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या 379/2024 श्री [illegible] चन्द्र [illegible] बनाम सोलर [illegible] एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2024 के अनुपालन में ग्राम कुमीहार सोलर प्लान्ट निर्माण के दौरान अतिक्रमण/अवैध पातन [illegible] काटे गये वृक्षों के नाप भूमि में स्थित होने से उक्त भूमि का स्वामित्व की जानकारी नहीं हो पाने से प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किये जाने में कठिनाई होने का उल्लेख करते हुए उक्त मौका स्थल की राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु तिथि नियत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अनुरोध के क्रम में तहसील भिकियासैंण अन्तर्गत ग्राम कुमीहार में मौका स्थल निरीक्षण हेतु दिनांक 05.07.2024 शुक्रवार को प्रातः 11.00बजे की तिथि नियत की जाती है। सभी सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक उक्त तिथि को समय मौका स्थल पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न- यथोक्त।

(सीमा विश्वकर्मा)
उपजिलाधिकारी, भिकियासैंण।

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत को [illegible] सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी, भिकियासैंण।

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

जंगल को आग से बचाए   सबका जीवन सुरक्षित बनाएं

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

ई मेलः– Subdivisonforestofficeranikhet@gmail.com

पत्रांक – 56 /29–1   रानीखेत   दिनांक– 15/ 7 /2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोडा,
वन प्रभाग अल्मोडा ।

विशय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट वनाम्.सोलर प्लस एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्वन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 के अनुपालन के सम्वन्ध में।

सन्दर्भ :– आपकी पत्राकं सं0 5588/29–1(3) दिनांक 21.05.2024

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र के कम में श्रीमान् प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोडा, वन प्रभाग अल्मोडा की पत्र सं0 5588/29–1(3) दिनांक 21.05.2024 एंव कार्यालय उपजिलाधिकारी, भिकियासैण की पत्र सं0 369/(1)/विविध–सयु0निरी0/2024, दिनांक 07.02.2024/व वन क्षेत्राधिकारी जौरासी की पत्र सं0 06/29–1 दिनांक 2.07.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट वनाम्. सोलर प्लस एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्वन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 के अनुपालन के सम्वन्ध में वांछित ऑख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

प्राप्त निदेर्शो के अनुपालन में वन क्षेत्राधिकारी जौरासी को प्रकरण में यथानिर्देश वांछित ऑख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, वन क्षेत्राधिकारी जौरासी की पत्र सं0 66/29–1 दिनांक 15.07.2024 द्वारा ऑख्या उपलब्ध करायी गयी है। वन क्षेत्राधिकारी जौरासी की द्वारा विन्दुवार ऑख्यां उपलब्ध करायी गयी है :——

1. निरीक्षण के दौरान स्टॉफ द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में ग्राम कुणीधार सोलर प्लांट निर्माण के दौरान अतिकमण/अवैध पातन के सम्वन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सोलर प्लान्ट के पास मिलान पर स्थित नाप भूमि में विभिन्न व्यासवर्ग के चीड़ के 35 वृक्षों के खुंट कटे हुए पाये जाने पर नार्थन सोलर एनर्जी एव S.R.N Sun Solar Engery P.V.T L.T.D कम्पनी के नाम अपराध पंजीकृत कर जुर्माना वसूल किया गया था। इसके अतिरिक्त सोलर प्लान्ट की सीमा के भीतर स्थित नाप एंव सिविल भूमि के विषय में सोलर प्लान्टं के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर बताया गया की काश्तकारों द्वारा उक्त भूमि सोलर प्लान्ट को लीज पर दी गई है और सम्वन्धित काश्कारों द्वारा ही वृक्षों का पातन किया गया है। अतः किन काश्तकारों द्वारा सोलर प्लान्ट को भूमि लीज पर दी गई है और किस भूमि पर सोलर प्लान्ट द्वारा अतिकमण कर अवैध पातन किया गया है, इस विषय में स्थिति स्पष्ट करने हेतु राजस्व विभाग से पुनः पत्राचार किया गया। जिसके कम में दिनांक– 9.07.2024 व 13.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

2. उक्त सोलर प्लांट द्वारा किसी प्रकार की आरक्षित भूमि या वन पंचायत भूमि पर अतिकमण नहीं किया गया है। मौके पर उपस्थित सोलर प्लांट के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि यह सोलर प्लांट स्थानीय ग्रामीणों की लीज पर ली गई नाप भूमि पर बनाया गया है। अतः अतिकंमण सम्वन्धी शिकायत में वन विभाग के स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3. उक्त सोलर प्लांट द्वारा पेड़ों के अवैध कटान के विषय में शिकायत प्राप्त होने पर सोलर प्लांट के पास मिलान पर स्थित नाप भूमि में विभिन्न व्यास वर्ग के 35 चीड़ वृक्षों का अवैध पातन पाये जाने पर नॉर्थन सोलर एनर्जी एंव एस0आर0एन0 सोलर एनर्जी प्रा0लि0 कम्पनी के विरुद्ध वन अपराध पंजीकृत कर जुर्माना वसूल किया गया है।

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

4. इसके अतिरिक्त उक्त सोलर प्लांट की सीमा के भीतर स्थित भूमि में काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में सोलर प्लांट के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ही वृक्षों का पातन कर भूमि लीज पर दी गई है। अतः लीज पर दी गई नाप भूमि के भू स्वामित्व की स्थिति के लिए राजस्व विभाग द्वारा दिनांक–9.07.2024 व 13.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें राजस्व विभाग द्वारा कुल 5 खसरा नम्बर के भू स्वामित्व स्पष्ट किये गये। जिसमें स्पष्ट किये गये भू स्वामित्व के खसरा/खेत नम्बरों में कुल 10 वृक्षों का पातन होना पाया गया (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न)। संयुक्त निरीक्षण में स्पष्ट किये गये 10 वृक्षों के पातन में से 4 चीड़ वृक्षों के पातन की अनुमति प्राप्त होना पाया गया एंव शेष 6 चीड़ वृक्षों के अवैध पातन के लिये सम्बन्धित के विरूद्व वन अपराध पंजीकृत कर कार्यवाही की गई है।

5. सोलर प्लान्ट की सीमा के भीतर स्थित शेष भूमि के विषय में राजस्व विभाग द्वारा भू स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे की कार्यवाही किया जाना संभव हो पायेगा। अतः वर्तमान में इस सम्बन्ध में वन विभाग के स्तर से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित/लंबित नहीं है।

उपरोक्तानुसार ऑख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

क्रमांक सं० ...189.......
पत्रावली सं० 29-1(3)
दिनांक 20-7-2024
कोर्ट केस

भवदीय,

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत।

पत्रांक /29–1/तददिनांकित
प्रतिलिपि –: उप जिलाधिकारी, भिकियासैण की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत।

छायाप्रति प्रमाणित
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

कार्यालय
वन क्षेत्राधिकारी जौरासी वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
Office Email- Rangeofficerjaurasi@gmail.com

पत्रांक 66/29-1 जौरासी राजि दिनांक -15/7/2024

सेवा में,
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
रानीखेत।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्लस एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाक- 01.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक संख्या-1001/29-1 दिनाकं-31.05.2024

महोदया,
उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाकं-31.05.2024 को ग्राम कुणीधार स्थित उक्त सोलर प्लान्टं का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉफ द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में ग्राम कुणीधार सोलर प्लांट निर्माण के दौरान अतिक्रमण/अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सोलर प्लान्ट के पास मिलान पर स्थित नाप भूमि में विभिन्न व्यासवर्ग के चीड के 35 वृक्षों के खुंट कटे हुए पाये जाने पर नार्थन सोलर एनर्जी एंव S.R.N Sun Solar Engery P.V.T L.T.D कम्पनी के नाम अपराध पंजीकृत कर जुर्माना वसूल किया गया था। इसके अतिरिक्त सोलर प्लान्ट की सीमा के भीतर स्थित नाप एंव सिविल भूमि के विषय में सोलर प्लान्ट के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर बताया गया की काश्तकारों द्वारा उक्त भूमि सोलर प्लान्ट को लीज पर दी गई है और सम्बन्धित काश्कारों द्वारा ही वृक्षों का पातन किया गया है। अतः किन काश्तकारों द्वारा सोलर प्लान्ट को भूमि लीज पर दी गई है और किस भूमि पर सोलर प्लान्ट द्वारा अतिकमण कर अवैध पातन किया गया है, इस विषय मे स्थिति स्पष्ट करने हेतु राजस्व विभाग से पुनः पत्राचार किया गया। जिसके कमं में दिनांक- 9.07.2024 व 13.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

1. उक्त सोलर प्लांट द्वारा किसी प्रकार की आरक्षित भूमि या वन पंचायत भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। मौके पर उपस्थित सोलर प्लांट के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि यह सोलर प्लांट स्थानीय ग्रामीणों की लीज पर ली गई नाप भूमि पर बनाया गया है। अतः अतिक्रमण सम्बन्धी शिकायत में वन विभाग के स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

2. उक्त सोलर प्लांट द्वारा पेडो के अवैध कटान के विषय मे शिकायत प्राप्त होने पर सोलर प्लांट के पास मिलान पर स्थित नाप भूमि में विभिन्न व्यास वर्ग के 35 चीड़ वृक्षों का अवैध पातन पाये जाने पर नॉर्थन सोलर एनर्जी एंव एस0आर0एन0 सोलर एनर्जी प्रा0लि0 कम्पनी के विरूद्व वन अपराध पंजीकृत कर जुर्माना वसूल किया गया है।

3. इसके अतिरियत उक्त सोलर प्लांट की सीमा के भीतर स्थित भूमि में काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में सोलर प्लांट के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ही वृक्षों का पातन कर भूमि लीज पर दी गई है। अतः लीज पर दी गई नाप भूमि के भू स्वामित्व की स्थिति के लिए राजस्व विभाग द्वारा दिनांक-9.07.2024 व 13.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें राजस्व विभाग द्वारा कुल 5 खसरा नम्बर के भू स्वामित्व स्पष्ट किये गये। जिसमें स्पष्ट किये गये भू स्वामित्व के खसरा/खेत नम्बरों में कुल 10 वृक्षों का पातन होना पाया गया। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न)। संयुक्त निरीक्षण मे स्पष्ट किये गये 10 वृक्षों के पातन में से 4 चीड वृक्षों के पातन की अनुमति प्राप्त होना पाया गया एंव शेष 6 चीड वृक्षों के अवैध पातन के लिये सम्बन्धित के विरूद्व वन अपराध पंजीकृत कर कार्यवाही की गई है।

प्राप्त प्रमाणित

[illegible]

4. सोलर प्लांन्ट की सीमा के भीतर स्थित शेष भूमि के विषय में राजस्व विभाग द्वारा भू स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे की कार्यवाही किया जाना संभव हो पायेगा। अतः वर्तमान में इस सम्बन्ध में वन विभाग के स्तर से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित/लंबित नहीं है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी, अल्मोड़ा वन प्रभाग

प्रतिलिपि–: श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय अल्मोड़ा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी, अल्मोड़ा वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

सेवा में,

श्रीमान वनक्षेत्राधिकारी महोदय
औरसी वन क्षेत्र जाल्लोश

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित आवे. सं. 379/2024 श्री भुवन चन्द्र शाह बनाम सोलर पावर एनर्जी प्रा. लि. व अन्य के सम्बन्ध में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दि. 01.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध :

सन्दर्भ:- श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय भिकियासैंण के आदेश सं. 361 शिविर- संकु रिटी./2024 दि. 07.07.2024 एवं श्रीमान वनक्षेत्र. महोदय औरसी के आदेशानुसार

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि दि. 13.07.2024 ग्राम कुलीआर अंतर्गत सोलर प्लान्ट का राजस्व विभाग के साथ मौके का निरीक्षण किया जिसकी जाँच आख्या निम्नवत् है -

1. उक्त सोलर प्लांट द्वारा किसी प्रकार की आरक्षित भूमि या वन पंचायत भूमि पर अ[illegible] नहीं किया गया है मौके पर उपस्थित सोलर प्लांट के प्रतिनिधि द्वारा बता[illegible] गया कि यह सोलर प्लांट स्थानीय ग्रामीणों की लीज पर ली गई नाप भूमि पर बनाया गया है जिस हेतु वन विभाग के स्तर पर अतिक्रमण सम्बन्धी किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

2. उक्त सोलर प्लांट द्वारा पेड़ों के अवैध कटान के विषय में शिकायत प्राप्त होने पर सोलर प्लांट के पास निजी नाप भूमि के विभिन्न प्रजाति के 35 चीड़ वृक्षों का अवैध पातन पाए जाने प. नार्दर्न सोलर एनर्जी एवं एस.आर.एन. सोलर एनर्जी प्रा. लि. कम्पन. के विरुद्ध वन अपराध (दि. 07.07.2023 अनुसार) पंजी. कर जुर्माना वसूल किया गया है।

3. उक्त सोलर प्लांट की सीमा के भीतर स्थित भूमि में काटे गए वृक्षों के सम्बन्ध में सोलर प्लांट के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ही वृक्षों का पातन कर भूमि लीज पर दी गई है लीज पर दी गई नाप भूमि के भू-स्वामित्व की स्थिति के लिए राजस्व विभाग द्वारा दि. 07.0[illegible] व 13.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें राजस्व विभाग द्वारा कुल 5 खसरा नम्बर के भू-स्वामित्व स्पष्ट किए गए हैं जिनमें स्पष्ट किये गये भू-स्वामित्व के खसरा / खेत[illegible]

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

(P.T.O).

में कुल 20 वृक्षों का पातन होना पाया गया संयुक्त निरीक्ष
स्पष्ट किये गये 20 वृक्षों के पातन में से 4 नग वृक्षों के
की अनुमति प्राप्त होना पाया गया तथा शेष 16 नग वृक्षों
अवैध पातन के लिए कम्पनी के विरुद्ध वन अपराध द
कर कार्यवाही की गई है।

4. सोलर प्लांट की सीमा के भीतर स्थित शेष भूमि के वि
में राजस्व विभाग द्वारा भू-स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट है
बाद ही उसके की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो पाए
गा। वर्तमान में इस अवस्था में वन विभाग के स्तर पर
भी कार्यवाही अपेक्षित / लम्बित नहीं है।

(किशोर चन्द्र)
वन क्षेत्र अधिकारी
मानिला II क्षेत्र

अग्रसारित
(चन्द्रशेखर)
वन दरोगा
मानिला अनुभाग

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

जंगल को आग से बचाएं

मानव जीवन सुरक्षित बनाएं

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

ई मेलः- Subdivisonforestofficeranikhet@gmail.com

पत्रांक - 54 /20-1 रानीखेत दिनांक-14/7/2024

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
भिकियासैंण।

विषय – माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर पावर एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक– 01.02.2024 के अनुपालन में राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-: कार्यालय उपजिलाधिकारी, भिकियासैंण की पत्र सं0 369/(1)/विविध- सपु0निरी0/2024, दिनांक 07.02.2024/ संयुक्त निरीक्षण तहसीलदार भिकियासैंण एंव वन क्षेत्राधिकारी जौरासी के साथ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में करे गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट में वन क्षेत्राधिकारी जौरासी के पत्रांक 63/21-1 दिनांक – 14.07.2024 द्वारा अवगत कराया गया है :-

सोलर प्लान्ट की सीमा के भीतर स्थित भूमि के विषय में स्थिति स्पष्ट करने हेतु भू स्वामित्व की स्थिति के लिए राजस्व विभाग के साथ दिनांक-9.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया कि राजस्व नक्शे में खेत नम्बर स्पष्ट न होने के कारण खसरा नम्बर का मिलान नही हो पाया। जिस कारण वृक्षों का गणना कार्य नही हो पाया (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न)। जिसके उपरांत राजस्व विभाग द्वारा दिनांक-13.07.2024 को पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें राजस्व विभाग द्वारा कुल 5 खसरा नम्बर के भू स्वामित्व स्पष्ट किये गये। जिसमें स्पष्ट किये गये भू स्वामित्व के खसरा/खेत नम्बरो में कुल 10 वृक्षों का पातन होना पाया गया (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न)। संयुक्त निरीक्षण में स्पष्ट किये गये 10 वृक्षो के पातन में से 4 चीड वृक्षों के पातन की अनुमति प्राप्त होना पाया गया एंव शेष 6 चीड वृक्षों के अवैध पातन के लिये सम्बन्धित के विरूद्व वन अपराध पंजीकृत कर कार्यवाही की गई है।

महोदय सोलर प्लान्ट की सीमा के भीतर स्थित शेष भूमि के विषय में राजस्व विभाग द्वारा भू स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे की कार्यवाही किया जाना संभव हो पायेगा। इसके अतिरिक्त यह अवगत कराना समीचीन होगा कि नाप भूमि में वृक्षों के अवैध पातन की स्थिति में वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-13 व धारा-16 के अनुसार राजस्व विभाग भी कार्यवाही के लिये सक्षम है, एवं नाप भूमि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख जैसे – सजरा, खसरा, खतौनी एंव नक्शा राजस्व विभाग के कार्य क्षेत्र अन्तर्गत आते है। अतः उक्त प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत आप अपने स्तर से सम्बन्धित तहसीलदार, राजस्व उपनिरीक्षक को उक्त सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे, ताकि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणो में पुनरावृति न होने पाये। अतः वर्तमान में इस सम्बन्ध में वन विभाग के स्तर से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित/लंबित नही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत।

पत्रांक /23-1/तददिनांकित

प्रतिलिपि –: श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय अल्मोड़ा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत।

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

कार्यालय

वन क्षेत्राधिकारी जौरासी वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
Office Email- Rangeofficerjaurasi@gmail.com

पत्रांक 63/21-1 जौरासी राजि दिनांक - 14-7-2024

सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी

रानीखेत।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्लस एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-01.02.2024 के अनुपालन में राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-: आपका पत्रांक संख्या-31/21-1 दिनाकं-3.07.2024

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि सोलर प्लान्ट की सीमा के भीतर स्थित भूमि के विषय मे स्थिति स्पष्ट करने हेतु भू स्वामित्व की स्थिति के लिए राजस्व विभाग के साथ दिनांक-9.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया कि राजस्व नक्शे में खेत नम्बर स्पष्ट न होने के कारण खसरा नम्बर का मिलान नही हो पाया। जिस कारण वृक्षों का गणना कार्य नहीं हो पाया (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न)। जिसके उपरांत राजस्व विभाग द्वारा दिनांक-13.07.2024 को पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें राजस्व विभाग द्वारा कुल 5 खसरा नम्बर के भू स्वामित्व स्पष्ट किये गये। जिसमें स्पष्ट किये गये भू स्वामित्व के खसरा/खेत नम्बरों में कुल 10 वृक्षों का पातन होना पाया गया (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न)। संयुक्त निरीक्षण में स्पष्ट किये गये 10 वृक्षों के पातन में से 4 चीड वृक्षों के पातन की अनुमति प्राप्त होना पाया गया एंव शेष 6 चीड़ वृक्षों के अवैध पातन के लिये सम्बन्धित के विरूद्व वन अपराध पंजीकृत कर कार्यवाही की गई हैं।

महोदया सोलर प्लान्ट की सीमा के भीतर स्थित शेष भूमि के विषय में राजस्व विभाग द्वारा भू स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे की कार्यवाही किया जाना संभव हो पायेगा। इसके अतिरिक्त यह अवगत कराना समीचीन होगा कि नाप भूमि में वृक्षों के अवैध पातन की स्थिति में वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-13 व धारा-16 के अनुसार राजस्व विभाग भी कार्यवाही के लिये सक्षम है। अतः वर्तमान में इस सम्बन्ध में वन विभाग के स्तर से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित/लंबित नहीं है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

वन क्षेत्राधिकारी

जौरासी, अल्मोड़ा वन प्रभाग

पत्रांक /21-1/तददिनांकित

प्रतिलिपि-: श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय अल्मोड़ा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

वन क्षेत्राधिकारी

जौरासी, अल्मोड़ा वन प्रभाग

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

[illegible] [illegible]

कार्यालय

वन क्षेत्राधिकारी जौरासी वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Office Email [illegible]

पत्रांक 963/27-1 जौरासी रेंज दिनांक 15-2-2024

सेवा में,
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत

विषय-: रेंज केस संख्या 01/जो0/2023-24 प्रशमन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-: श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय अल्मोड़ा की पत्र संख्या 5079/6-1 दिनांक 25.01.2024

महोदय

उपरोक्त विषयक पर निवेदन है कि इस वन क्षेत्र के रेंज केस संख्या 01/जो0/2023-24 [illegible] अधिनियम 1927 की धारा 4/10 के अन्तर्गत जारी किया गया है। जाँच अन्तर्गत अपराधी प्रह्लाद सिंह मनराल पुत्र स्व0 [illegible] सिंह ग्राम व पोस्ट [illegible] तहसील [illegible], जिला अल्मोड़ा वर्तमान [illegible] एनर्जी एवं एस0आर0एस0 वन [illegible] एनर्जी प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा नाप भूमि कुनीधार में 20-30 व्यास के 09, 30-40 व्यास के 13, 40-50 व्यास के 09 तथा 50-60 का 4, कुल 35 चीड़ हरे खड़े वृक्षों को अवैध रूप से काटने का अपराध स्वीकार किया गया है। प्रकरण शमनीय है। उपरोक्तानुसार वृक्षों को गिराने/पातन करने पर वन अपराध का जुर्माना रू0 130000.00 (एक लाख तीस हजार मात्र) ई0-3 सं0 1250(00) दिनांक 21.12.2023 से वसूल किया गया है। जिसे राजस्व लेखा मद संख्या 01/फो0 माह जनवरी 2024 में प्राप्त कर ऑनलाईन चालान संख्या 04060124EC047807 दिनांक 29.01.2024 एवं भारतीय स्टेट बैंक अल्मोड़ा के चालान/जरनल नम्बर 401402135 दिनांक 29.01.2024 से रू0 130000.00 (एक लाख तीस हजार) मात्र की धनराशि जमा की गई है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त केस को प्रशमित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।।

संलग्न-: 1. एच-2 केस मय बयान/जाँच मूल में।
2. ई0 3 रसीद छायाप्रति

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Forest Department Jaurasi Letter 27-1

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 13/07/2024 को श्रीमान उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश दिनांक 01/07/2024 के अनुपालन में ग्राम [illegible] [illegible] के दौरान [illegible] के संबंध [illegible] पातन के सम्बन्ध [illegible] निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान [illegible] निम्न नम्बरों पर वृक्ष पातन होना पाया गया -

क्र. सं.	प्रजाति	खसरा संख्या	[illegible]	[illegible]	खातेदार का नाम
		3097	27	1 [illegible]	[illegible] आदि [illegible]
01	[illegible]	3226	27	1 [illegible]	— " —
02	[illegible]	3235	27	1 [illegible]	— " —
01	[illegible]	3234	11	1 [illegible]	[illegible]
03	[illegible]	3075	50	1 [illegible]	[illegible]
02	[illegible]				

अतः निरीक्षण रिपोर्ट [illegible] के प्रेषित।

[signatures]

वन क्षेत्राधिकारी

प्रतिलिपि प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

कार्यालय उपजिलाधिकारी, भिकियासैंण।

संख्या 369(1)/विविध–संयु0निरी0/2024, दिनांक 07.02.2024।

तहसीलदार,
भिकियासैंण।

वन क्षेत्राधिकारी,
जौरासी।

विषयः– संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत के कार्यालय पत्र संख्या 11/21–1 रानीखेत, दिनांक 03.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्लस एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2024 के अनुपालन में ग्राम कुणींधार सोलर प्लान्ट निर्माण के दौरान अतिक्रमण/अवैध पातन काटे गये वृक्षों के नाप भूमि में स्थित होने से उक्त भूमि का स्वामित्व की जानकारी नहीं हो पाने से प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किये जाने में कठिनाई होने का उल्लेख करते हुए उक्त मौका स्थल की राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु तिथि नियत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अनुरोध के क्रम में तहसील भिकियासैंण अन्तर्गत ग्राम कुणींधार में मौका स्थल निरीक्षण हेतु दिनांक 05.07.2024 शुक्रवार को प्रातः 11:00बजे की तिथि नियत की जाती है। सभी सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक उक्त तिथि को ससमय मौका स्थल पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न– यथोक्त।

(सीमा विश्वकर्मा)
उपजिलाधिकारी, भिकियासैंण।

प्रतिलिपिः– उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी, भिकियासैंण।

जगल को आग से बचाएं

सबका जीवन सुरक्षित बनाएं

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

ई मेल:- Subdivisonforestofficeranikhet@gmail.com

पत्रांक – 11 /21–1 रानीखेत दिनांक– 3 / 7 /2024

सेवा में,

उप जिलाधिकारी महोदय,
भिकियासैण

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम, सोलर स्तर एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– वन क्षेत्राधिकारी जौरासी की पत्र सं0 6/29–1 दि0 2.7.2024

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है, कि वन क्षेत्राधिकारी जौरासी द्वारा ग्राम कुणीधार स्थित उक्त सोलर प्लान्ट का मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉफ द्वारा अवगत कराया गया है, कि पूर्व में ग्राम कुणीधार सोलर प्लान्ट निमार्ण के दौरान अतिक्रमण/अवैध पातन के सम्बन्ध में सोलर प्लान्ट के पास मिलान पर स्थित नाप भूमि में विभिन्न व्यासवर्ग के चीड के 35 वृक्षो के खुट कटे पाये जाने पर नार्थन सोलर एनर्जी एंव S.R.N.SUN Solar Engery P.V.T L.T.D कम्पनी के नाम अपराध पंजीकृत कर जुर्माना वसूल किया गया था। इसके अतिरिक्त सोलर प्लान्ट की सीमा के भीतर स्थित नाप एंव सिविल भूमि के विषय में सोलर प्लान्ट के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर बताया गया, कि काश्तकारो द्वारा उक्त भूमि सोलर प्लान्ट को लीज पर दी गई है, और सम्बन्धित काश्तकारो द्वारा अवैध पातन किया गया है। अतः किन काश्तकारो द्वारा सोलर प्लान्ट को भूमि लीज पर दी गई है, और किस भूमि पर सोलर प्लान्ट द्वारा अतिक्रमण पर अवैध पातन किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है, कि उक्त प्रकरण में सोलर प्लान्ट की सीमा के भीतर स्थित नाप भूमि एंव सिविल भूमि के विषय में स्थिति स्पष्ट करने हेतु आप अपने स्तर से उचित कार्यवाही करके इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करे।

भवदीय,

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत।

पत्रांक 11/21–1 दिनांकित

प्रतिलिपि :– श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोडा, वन प्रभाग अल्मोडा महोदय की सेवा सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन क्षेत्राधिकारी जौरासी को इस आशय से प्रेषित है, कि राजस्व विभाग के साथ समनवय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत।

O/C

दृष्टव्य्यात प्रभागीय

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

कार्यालय

वन क्षेत्राधिकारी जौरासी वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Office Email- Rangeofficerjaurasi@gmail.com

पत्रांक 06/29-1 जौरासी राजि दिनांक- 2/7/2024

सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्लस एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाक-01.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-: आपका पत्रांक संख्या-1001/29-1 दिनाकं-31.05.2024

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाक-31.05.2024 को ग्राम कुणीधार स्थित उक्त सोलर प्लान्टं का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉफ द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में ग्राम कुणीधार सोलर प्लांट निर्माण के दौरान अतिकमण/अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सोलर प्लान्ट के पास मिलान पर स्थित नाप भूमि में विभिन्न व्यासवर्ग के चीड़ के 35 वृक्षों के खुंट कटे हुए पाये जाने पर नार्थन सोलर एनर्जी एंव S.R.N Sun Solar Engery P.V.T L.T.D कम्पनी के नाम अपराध पंजीकृत कर जुर्माना वसूल किया गया था। इसके अतिरिक्त सोलर प्लान्टं की सीमा के भीतर स्थित नाप एंव सिविल भूमि के विषय में सोलर प्लान्टं के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर बताया गया की काश्तकारों द्वारा उक्त भूमि सोलर प्लान्ट को लीज पर दी गई है और सम्बन्धित काश्कारों द्वारा ही अवैध पातन किया गया है। अतः किन काश्तकारों द्वारा सोलर प्लान्ट को भूमि लीज पर दी गई है और किस भूमि पर सोलर प्लान्ट द्वारा अतिकमण कर अवैध पातन किया गया है, इस विषय में स्थिति स्पष्ट करने हेतु तहसीलदार, भिकियासैण को इस कार्यालय की पत्र संख्या-13/12-1 दिनाकं-10.07.2023 से अवगत किया गया था।

अतः महोदया से निवेदन है कि सोलर प्लान्ट की सीमा के भीतर स्थित नाप एंव सिविल भूमि के विषय में स्थिति स्पष्ट करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिये उप जिलाधिकारी, भिकियासैण को पुनः अपने स्तर से पत्र लिखने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी, अल्मोड़ा वन प्रभाग

पत्रांक - /29-1/तददिनांकित

प्रतिलिपि-: श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय अल्मोडा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-: तहसीलदार महोदय, भिकियासैण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी, अल्मोड़ा वन प्रभाग

छायाप्रति प्रमाणित
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 5588 /21-1(3) अल्मोड़ा दिनांक 21.05.2024

सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
रानीखेत उप वन प्रभाग रानीखेत।

विषय— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भटट बनाम 'सोलर प्लस एनर्जी प्रा0लि0' व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ— जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 4998/छब्बीस-06/2023-24 दिनांक 17.05.2024.

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भटट बनाम 'सोलर प्लस एनर्जी प्रा0लि0' व अन्य के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कुणीधार के राजस्व ग्राम कुणीधार में 'सोलर प्लस एनर्जी प्रा0 लि0' द्वारा भूमि अतिक्रमण प्रकरण में आपके द्वारा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि विषयक प्रकरण पर विना अनुमति के किसी भी प्रकार का अवैध कटान/पातन न होने पावें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Copy
RO Jaunsi for n/a

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

16.37
21-1
21-05-24

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

बुक नम्बर 48 एच (2) पंजिका पेज सं०

वन विभाग उत्तराँचल प्रदेश परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 01 दिनांक 07.07.2023 अधिक्षेत्र राजि जौरासी वन क्षेत्र

1 - नाम, पिता का नाम व निवास स्थान नार्दर्न सोलर एनर्जी एवं S.R.N Sun Solar energy P.V.T LTD कम्पनी

2 - साक्षी का नाम - (1) स्वयं
(2) श्री गोपाल दत्त जोशी, व० क्षे० अ० जौरासी वन क्षेत्र
(3) श्री चन्द्रशेखर वन दरोगा, मानिला अनुभाग
(4) श्री संजय सिंह, वन बीट अधिकारी, मानिला I बीट

3 - कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक दि० 07.07.2023 को प्राप्त शिकायत के क्रम में नाप भूमि कुणीधार के अन्तर्गत निरीक्षण किया मौका मुआयना करने के दौरान ग्राम सभा कुणीधार की नोटे पर आए उनके द्वारा बताया गया कि कुणीधार नाप भूमि में नार्दर्न सोलर एनर्जी एवं S.R.N Sun Solar energy P.V.T. LTD कम्पनी द्वारा सोलर प्लान्ट निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें उपरोक्त कम्पनी द्वारा बिना अनुमति के अवैध नाप कुणीधार नाप भूमि में चीड़ के हरे वृक्ष काटे जा रहे हैं जाँच उपरान्त मौके पर वास्तव में 20-30/09, 30-40/13, 40-50/09, 50-60/04 व्यास श्रेणी के कुल 35 वृक्षों के ठूंठ पाये गए।

4 - मूल्य (रुपये)

वन क्षेत्राधिकारी

5 - चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत
सव डिफेन्स फ० - 9/1/जौरा/ 2023-24
वन क्षेत्राधिकारी

आख्या
कृपया अपराधी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर तथा जाँच रिपोर्ट सक्षम प्रस्तुत करें। उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत

6 - प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

(किशोर चन्द्र)
वन बीट अधिकारी
मानिला II बीट

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

13

रेंज केस संख्या- 61/जौरासी/2023-24

मूल में श्रीमान उप प्रभा० वना० अधिकारी रानीखेत की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन क्षेत्राधिकारी तागाढ़ौन को नियमानुसार जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी
द्वाराहाट वन क्षेत्र

सम्बन्धित SO को प्रेषित किया जाता है।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

रेंज केस संख्या -61/जौरासी/2023-24

मूल में श्रीमान उप प्रभा० वनाधिकारी महोदय रानीखेत की सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त जुर्म केस की जाँच अनु० अधि० तागाढ़ौन से कराई गयी। उक्त अनु० अधि० द्वारा अपराध की कीमत एवं मुआवजा ₹ 1,30,000.00 (एक लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि E-3 स० 1250(60) दि० 21/12/2023 से वसूल की गई है, जिसे राजस्व मद स० 18/जौ/माह/दिस०2024 में प्राप्त कर SBI चौखुटिया के जनरल नं० 40146212135 दि० 29.01.2024 से जमा किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त अपराध/केस को यथोचित करने की कृपा की जाए।

संलग्न :- जाँच आख्या, बयान

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम प्रसूचना रिपोर्ट रेन्ज कैस संख्या 09/जौरासी रानि वर्ष 2023-24

1. नाम अपराधी :- प्रह्लाद सिंह मनराल
S/o प्रताप सिंह ग्राम + पोस्ट सैणमानुरा तहसील भिक्यासैंण
जिला अल्मोड़ा नार्दन सोलर एनर्जी एवं S.R.N. Sun
Solar Energy P.V.T. L.T.D. कम्पनी

2. अपराध का विवरण :- नापभूमि कुणीधार में बिना अनुमति के 35 (पैंतीस) चीड़ वृक्ष हरे खड़े कटान करने पर उत्तराखंड वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत।

3. जाँच आख्या :- महोदय उक्त जुर्म केस की जाँच मेरे द्वारा की गई जिसमें अपराधी द्वारा अज्ञानतावश विभिन्न व्यास के 30-40/13, 20-30/9, 40-50/9 एवं 50-60/4 कुल 35 चीड़ के हरे खड़े वृक्ष काटे गए, जिसका अपराधी अपना जुर्म/अपराध कबूल करता है व किसी भी प्रकार की अदालती/अन्य कार्यवाही नहीं चाहता है। अपराधी द्वारा किये गये अपराध का मुआवजा एक लाख तीस हजार (130,000) रू० मात्र E3 बुक संख्या 1250 के पृष्ठ संख्या 60 के द्वारा वसूल किया गया है।

अतः जुर्म केस को प्रशमित करने की असीम अनुकम्पा करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्न :- 1. E3 रसीद मय धनराशि।
2. अपराधी के बयान।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scan

बयान

गण

मैं प्रधानसिंह मनराल पुत्र स्व० [illegible] ग्राम पो० [illegible] तह० [illegible] जिला अल्मोड़ा यह बयान देता हूँ कि ग्राम कुरियाल के [illegible] सोलर [illegible] से S.RAM SUN SOLAR ENERGY, P.V.T, L.T.D. कम्पनी द्वारा प्लांट निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें मैं [illegible] के पद पर कार्यरत हूँ. मेरे द्वारा सोलर प्लांट निर्माण स्थल कुरियाल नाम के [illegible] कानूनी जानकारी के अभाव में अवैध रूप से [illegible] कार्य [illegible] अपने [illegible] से करवाया गया दि० 7-7-2023 को [illegible] श्री पंकज [illegible] मौके पर [illegible] के सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया परन्तु मेरे पास किसी तरह के दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे इस प्रकार मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ. तथा [illegible] अपराधी हूँ, व किसी तरह की [illegible] कार्यवाही नहीं चाहता हूँ. [illegible] यही मेरा बयान है जो के [illegible] के [illegible] बयान के [illegible] समझ कर [illegible] लिख कर दे रहा हूँ. [illegible] है।

गवाह

[signature]

[illegible]

22-9-2023

प्रधानसिंह

(प्रधानसिंह पुत्र स्व० [illegible])

ग्रा० पो० [illegible] जिला [illegible]

जि० अल्मोड़ा

उपरोक्त बयान मेरे द्वारा लिए गये हैं

[signature]

उप० [illegible]

([illegible])

[illegible]

22-9-2023

द्वारा प्रमाणित

[signature]

[illegible]

[illegible] अल्मोड़ा